

**मुख्य मंत्री लक्ष्मी लाडली योजना
लाडली लक्ष्मी योजना लाभ प्राप्त करने हेतु**

आवेदन पत्र

प्रति

परियोजना अधिकारी

-----परियोजना

जिला

झारखण्ड

में अपनी पुत्री/आश्रम की बालिका कु..... का
पंजीकरण

मुख्य मंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में कराना चाहता/चाहती हूँ इसके लिये विवरण निम्नलिखित है ।

1	2	3
1	बालिका का नाम	
2	बालिका का जन्म दिनांक	
3	बालिका की माता का नाम	
4	बालिका की माता की आयु	
5	बालिका की पिता का नाम	
6	बालिका की पिता की आयु	
7	बालिका के भाई बहनो की संख्या(बालिका को छोड़कर)	
8	बालिका की बहन/भाई का नाम	
9	बालिका की बहन/भाई का जन्म दिनांक	
10	क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है	
11	बालिकाके माता पिता के निवास का पुर्ण पता मकान क्रमांक वार्ड/ग्राम आंगनवाडी केंद्र तहसील जिला पिन कोड	हां/नही
12	आंगनवाडी क्षेत्र में कब से निवास करते है	जन्म से /गत
13	पोस्ट ऑफिस का नाम जिससे राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किया जाना है ।	
14	बालिका के पिता/माता में से परिवार नियोजन किसने अपनाया ।	
15	परिवार नियोजन अपनाने की दिनांक	
16	आवेदक का वर्ग/स्समान्य/अ.जा./अ.जअ.जा/पि.वर्ग	
17	आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय	
18	क्या बालिका के माता पिता आयकर दाता है	हां/नही
19	क्या बालिका के माता इता बी.पी.एल.कार्डधारक है	हां/नही

आवेदक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं आयकरदाता नहीं हूँ एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य सही है, अगर इन तथ्यों में से किसी भी प्रकार की अभी अथ्य विसंगति या झुठ पाया जाता है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ और मुझे प्राप्त समस्त लाभ सरकार को वापस देने के लिये सहमत हूँ।

कोई विसंगति या झुठ पाये जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा किसी भी आंगनवाडी से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

दिनांक

आवेदक का नाम
हस्ताक्षर

आवेदक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि

अपनी पुत्री को नियमित रूप से आंगनवाडी भेजुंगा/भेजुंगी तथा उसे निरंतर पढाउंगा/पढाउंगी-लिखाउंगा/लिखाउंगी ।

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि, अपनी पुत्री कु..... का विवाह निर्धारित न्युनतम आयु 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही करुंगा/करुंगी ।

मने योजना की शर्तो को भली भांति समझ लिया है यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तो का पालन करने में विफल रहती है तो उसके नाम से क्रय किये गये/नवीनीकृत किये गये राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापसे लेने हेतु अधिकृत होगा । बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तो का पालन न कर पाने की स्थित में तत्काल सूचना आंगनवाडी कार्यकर्ता को दुंगा/दुंगी ।

दिनांक

आवेदक का नाम

आवेदक के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार फार्म संलग्न किये गये

1. मासिक/आवर्ती/सावधिक/बचत योजनाओं के लिये भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में
2. सम्बंधित एकाउंटों को शासन को प्लेज करने के लिये हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में
3. आवेदक के मूल निवासी होना परिवार नियोजन अपनाना के सम्बंध में कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र
4. आवासीय प्रमाण पत्र
5. आय प्रमाण पत्र
6. बी0पी0एल0 संबंधी प्रमाण पत्र एवं बी0पी0एल0 सं0
7. जन्म प्रमाण पत्र

आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा दी जानेवाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..... पत्नी श्री..... गांव..... परियोजना..... जिला.....पुत्री कुमारी..... का जन्म दिनांक है तथा बालिका योजना के पात्र है । बालिका का नाम आंगनवाडी केंद्र क्रमांक में पंजीकृत है तथा प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के पिता/माता परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के मातापिता के दो ही जीवित संतान है ।

नाम
आंगनवाडी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी.....संस्था.....में दिनांक
.....से पंजीकृत है। पंजीकरण के समय उसकी जन्म दिनांक लगभग
अंकित गई है तथा बालिका योजना के लिये पात्र हितग्राही है।

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह
का नाम एवं हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी का **व्यक्ति**

उक्त दिये गये तथ्य के आधार पर कु..... पुत्री
श्रीमती..... पत्नी श्री.....
निवासी.....परियोजना.....जिलाके नाम 6000/-रु के विभिन्न
बचत योजनाओं में 5 वर्षों तक निवेश/विनिवेश की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जाती है। बालिका का नाम योजना के
हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्यापर पंजीकृत है।

नाम एवं हस्ताक्षर
बाल विकास परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला